क्रं :-स्थागुशा/जॉच रिपोर्ट / /06
कार्यालय पुलीस अधिक्षक, यवतमाल
तारीख 21/3/2006

392/ हि-अत्याचार
28/03/2006

प्रति,

मा. सहाय्यक संचालक,
राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाती आयोग,
नई दिल्ली.

संदर्भ :- पत्र क्रं. Maha/ ST -4 / 2005 / Atrocity Dated 13/12/2005
विषय :- श्री धर्मा नागो मेश्राम मु. येरंडगांव पुलीस थाना पारवा जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) इनके शिकायत अर्जीका जॉच अहवाल

--00--

उपरोक्त संदर्भ और विषय के अनुसार आपके कार्यालयसे प्राप्त श्री धर्मा नागो मेश्राम मु. येरंडगांव इन्होने गैरअर्जदार (1) श्री मेहंदी लालानी (2) श्री सुभाष माधवराव इंगले (3) रेंज फॉरेस्ट ऑफीसर, पारवा इनके खिलाफ अर्जदार के खेतमेसे सागवान जातीके 09 पेड काटकर उनका 13,000/ का नुकसान किया इस शिकायतकी जॉच की गयी। वह जॉच रिपोर्ट निम्नलिखीत है।

शिकायतदार श्री धर्मा नागो मेश्राम इन्होने जीस खेतसे 09 सागवान पेड गैरअर्जदार इन्होने काटकर 13,000/- का नुकसान किया वह खेत उसी गांवके श्री महादेवराव गणपतराव गावंडे और उनके भाई त्र्यंबक गावंडे इनका है। लेकीन शिकायतदार के कहने नुसार वह खेत उन्होने खेत मालीकसे खरीदा हुआ है। लेकीन जॉच के दौरान यह बात सामने आयी के। वह खेत अर्जदार के नामपर नही है। और उस खेतके संबंधमे जॉच अधिकारीने खेतके सरकारी कागजात की मॉग की लेकीन शिकायतदार इन्होने कोई भी कागजात दिये नही। जॉच के दौरान यह बात निष्पन्न हुयी की, खेतमालीक महादेवराव गावंडे इन्होने यह खेत कुछ साल पहले शिकायरतदारको बहनेके लिए दिया हुआ है। और अभितक शिकायतदारही उस खेतमें खेतीबाडी करता है।

गैरअर्जदार श्री मेहंदी लालानी इनका खेत शिकायतदारकी अर्जीमें नमुद खेतको लगकर है। और उन्होने खेतमालीक महादेवराव गावंडे इनका No objection लेकर उनके खेतमेंके सागवान पेड फॉरेस्ट विभागके लेखी अनुमतीनुसार गैरअर्जदार (1) सुभाष माधवराव इंगले इसको बेचे है। शिकायतदारके कहनेके नुसार काटे हुये 09 सागवान पेड यह भी श्री मेहंदी लालानी इन्हीके खेतमेंके है ऐसा जॉचके दौरान पता चला।

शिकायतदार इन्होने दी हुयी तक्रार के नुसार नमुद खेत उसका नही है। और उस खेत संबंधी कोई भी सरकारी कागजात इन्होने जॉच के दौरान पेश नही किये है। और यह मामला सागवान पेड काटनेके संबंधमें होने के कारण और शिकायतदारने यह शिकायत महाराष्ट्र फॉरेस्ट विभाग को दियी होने के कारण यह मामला फॉरेस्ट विभागके संबंधीत है।

उपरोक्त जॉच रिपोर्ट अवलोकन और उचित कार्यवाही हेतु सादर है।

पुलीस अधिक्षक, यवतमाल
(महाराष्ट्र)